FORM NO. III

(2020/00119)

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

शीतलबाई पत्नि स्व0 बालकृष्ण बैरवा पुत्री पोथीलाल जाटव पता आदर्श कॉलोनी, शिकारगंज, मण्डरायल रोड, करौली (राज0) मो.न. 9982803372

– अपीलाण्ट

बनाम

1. लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी, करौली
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, करौली

– रेस्पोण्डेण्ट

मु.नं. 59/2020 किस्म मुकदमा–अपील सूचना का अधिकार अधि. 2005 ता.रजु 26.10.2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
26.10.2020	अपीलाण्ट द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी, करौली व विकास अधिकारी, पंचायत समिति, करौली को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) तहत आवेदन प्रेषित कर वृदावस्था पेंशन योजना के तहत पी.पी.ओ. नम्बर क्रमशः RJ-S-05612283 एवं 05612277 से संबंधित सूचना चाही गई थी। प्रत्यर्थीगण द्वारा आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने/उपलब्ध करवाई गई सूचना से असंतुष्ट होने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है। अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपील का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी, करौली व विकास अधिकारी, पंचायत समिति, करौली द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह अपील पेश की है। कोषाधिकारी, करौली द्वारा पेंशन के संबंध में किसी प्रकार की पीपीओ से संबंधित पत्रावली संधारित नहीं किये जाने के संबंध में अपीलार्थी को अवगत करवा दिया गया है जिसकी प्रति स्वयं अपीलार्थी द्वारा संलग्न की गई है। अतः लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी करौली के स्तर पर कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है। लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, करौली के प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला कलक्टर नहीं है। अतः अपील अस्वीकार की जाती है। अपीलार्थी संबंधित विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में अपील पेश कर सकता है। निर्णय की प्रति उभयपक्षकारान को भिजवाई जावे। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, करौली	1328-30 29.10.2020